सरकारने CGST Act में सेक्शन 168A को एक ऑर्डिनेंस के जरिए इंसर्ट किया है| THE TAXATION AND OTHER LAWS (RELAXATION OF CERTAIN PROVISIONS) ORDINANCE, 2020 DATED 31.03.2020 के तहत यह ऑर्डिनेंस लाया गया है| ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंडमेंट क्योंकि या गया है? संविधान के आर्टिकल 123(1) के तहत यह प्रावधान है कि जब संसद सत्र में नहीं होती है तो ऑर्डिनेंस के जरिए कोई भी प्रावधान लागू किया जा सकता है| इस ऑर्डिनेंस को 6 महीने के अंदर लोकसभा तथा राज्यसभा से पारित करवाना आवश्यक होता है| यह समयसीमा 6 महीने और बढ़ाई जा सकती है| इन शक्तियों का प्रयोग बहुत ही इमरजेंसी समय में किया जा सकता है|

सेक्शन 168A के तहत गवर्नमेंट को शक्ति दी गई है कि वह सीजीएसटी काउंसिल की अनुशंसा पर का फी सारी टाइम लिमिट को एक साथ extend कर सकती है जो के नियत समय पर पूरी नहीं हो सकी है या Comply नहीं हो सकी है| इस शक्ति का प्रयोग Force majeure के केस में ही लागू हो सकता है| FORCE MAJEURE का अर्थ भी बताया गया है यानी यह युद्ध, भयंकर बीमारी, बाढ़, सूखा, भूकंप, साइक्लोन इत्यादि भयंकर परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है|

अभी कोविड-19 जैसी महामारी की केसमें सरकार इस शक्ति का प्रयोग करते हुए नोटिफिकेशन 35/2020 सेंट्रल टैक्स dt. 03.04.2020 जारी किया है | इसमें यह बताया गया है कि कोईभी कार्य चाहे वह ऑफिसर द्वारा या करदाता द्वारा 20.03.2020 से लेकर 29.06.2020 के बीच में होना है और वह नहीं हो पाता है तो उसकी नियत तिथि 30.06.2020 तक स्थगित हो जाएगी |

इसमें कोई भी proceedings का पूर्ण होना, आदेश पारित करना या नोटिस जारी करना, कोई भी सूचना देना, कोई भी sanction या approval या कोई भी कामजो अधिकारी, कमिश्नन या ट्रिब्यूनल द्वारा एक्ट में किया जाना है इत्या दिस भी शामिल होंगे| इसी तरह से अपील फाइल करना, जवाब देना या कोई प्रार्थनापत्र पेश करना या कोई रिपोर्ट,दस्तावेज,रिटर्न,स्टेटमेंट या कोई भी रिकॉर्ड इत्यादि पेश करना भी शामिल होंगे |

पर यह प्रावधान कुछ सेक्शन पर लागून हीं होता है जिस की डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई है |

इस तरह सरकार ने इस विकट परिस्थिति में सेक्शन 168A लाकर तथा सभी प्रावधानों को 30.06.2020 तक स्थगित कर समय सीमा को बढ़ा दिया है| इस प्रकार सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि वह इस दुविधा में सभी नागरिकों के साथ खड़ी है|

साथ ही अधिकारियोंने ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन निकाल कर सरकार का पूर्ण सहयोग किया है |

हमने पहले भी बताया था कि सरकारी कर्मचारी व अधिकारी गण इस मुश्किल घड़ी में करदाता ओं की भरपूर मदद कर रहे हैं| हमें एक client के केस में कस्टम में Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules 2017 में इंटीमेशन देना था| तथा इस इंटीमेशन की कॉपीपोर्ट पर भी सबमिट करनी थी| पर कस्टम कार्यालय जाना संभव नहीं था|हमने इस्पेक्टर सेबा तकी पर वह भी कर्फ्यू के कारण घर पर ही थे| पर उन्होंने हमें ई-मेल द्वारा इंटीमेशन देने के लिए कहा तथा उसकी पावती भी हाथों-हाथ ई-मेल से हमें भेज दी| उन्होंने यह मेल पोर्ट पर भी भेजदी जहां हमें उसे सबमिट करना था| इस तरह से उन्होंने हमारा पूर्ण सहयोग किया|

हम इन कर्मचारियों और अधिकारी गणकी कर्तव्य के प्रति समर्पण को नमन करते हैं |

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.